



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1384]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2016/ज्येष्ठ 13, 1938

No. 1384]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2016/ JYAISTHA 13, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2016

का.आ. 1980(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिन्हें सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का.आ. 465(अ), तारीख 26.02.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर 220.000 कि.मी. से 288.513 कि.मी. तक (उरई—बराह खण्ड) चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से शुल्क संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया था।

अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा का.आ. 465(अ), तारीख 26.02.2013 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

(क) सारणी -1 के ठीक ऊपर पैरा 4 में शब्दों और अंकों के लिए:

मौजूदा के स्थान पर	निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 68.513 कि.मी.	सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 61.501 कि.मी. और सड़क की समकक्ष लम्बाई 12.990 कि.मी. [संरचनाओं की 1.299 कि.मी. लम्बाई को परिवर्तित करके (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है)]
रारा-25 का 220.000 कि.मी. से 288.513 कि.मी. तक	रारा-25 का 225.713 कि.मी. से 288.513 कि.मी. तक

(ख) टिप्पणियों के पैरा-1 में सारणी के लिए निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कालपी में खण्ड के पूरा होने से पहले	
कि.मी./चैनेज 229.913 (जालौन जिले में उकासा गांव)	59.863
कालपी में खण्ड के पूरा हो जाने के बाद	
कि.मी./चैनेज 229.913 (जालौन जिले में उकासा गांव)	61.501

(ग) टिप्पणियों के पैरा 1 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“ 1 (क) उपर्युक्त के अतिरिक्त, 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई के समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कालपी में खण्ड के पूरा होने से पहले			
कि.मी./चैनेज 229.913 (जालौन जिले में उकासा गांव)	1.237*	12.370	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कालपी में खण्ड के पूरा हो जाने के बाद			
कि.मी./चैनेज 229.913 (जालौन जिले में उकासा गांव)	1.299**	12.990	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	चैनेज (कि.मी.)		कुल लम्बाई (मीटर)
	से	तक	
(i)	437.050	437.143	93.000 मीटर
(ii)	244.670	245.450	780.000 मीटर
(iii)	448.965	449.034	69.000 मीटर
(iv)	254.355	254.650	295.000 मीटर
	कुल		1237.000 मीटर

** संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्नानुसार है और यह अनुमोदन के मध्यहीन है।

क्रम संख्या	चैनेज (कि.मी.)		कुल लम्बाई (मीटर)
	से	तक	
(i)	437.050	437.143	93.000 मीटर
(ii)	244.670	245.450	780.000 मीटर
(iii)	448.965	449.034	69.000 मीटर
(iv)	254.355	254.650	295.000 मीटर
(v)	243.879	243.941	62.000 मीटर
	कुल		1299.000 मीटर

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/497/11-12/सीओ/जीसी-कानपुर (220.000-288.513)]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2016

S.O. 1980(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended from time to time, the Central Government, vide notification S.O. 465(E) dated 26.02.2013 authorized National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, fee for use of the four and more lanes section from kilometer 220.000 to kilometer 288.513 (Orai-Barah section) on the National Highway No. 25 in the State of Uttar Pradesh.

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification published vide S.O. 465(E), dated 26.02.2013.

- (a) For the words and figures in Para 4 just above Table-1:

In place of existing	Shall be substituted as
Net road section length of 68.513 km	Net Road Section length of 61.501 km and equivalent road length of 12.990 km [by converting 1.299 km length of structures (having length more than 60m)]
Km 220.000 to Km 288.513 of NH-25	Km 225.713 to Km 288.513 of NH-25

- (b) For the table in Para-1 of Notes, following table shall be substituted:

Location of Toll Plaza (Chainage)	Length for which fee is payable (km)
Before completion of stretch at Kalpi	
Km/ch 229.913 (village Ukasa in Jalaun district)	59.863
After completion of stretch at Kalpi	
Km/ch 229.913 (village Ukasa in Jalaun district)	61.501

- (c) After Para-1 of Notes, the following Para shall be inserted, namely:-

“1(A) In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Before completion of stretch at Kalpi			
Km/ch 229.913 (village Ukasa in Jalaun district)	1.237*	12.370	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
After completion of stretch at Kalpi			
Km/ch 229.913 (village Ukasa in Jalaun district)	1.299**	12.990	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Chainage (km)		Total length (metre)
	From	To	
(i)	437.050	437.143	93.000 m
(ii)	244.670	245.450	780.000 m
(iii)	448.965	449.034	69.000 m
(iv)	254.355	254.650	295.000 m
	Total		1237.000 m

** The details of structures (> 60 m length) are as under and is subject to approval:

S.No.	Chainage (km)		Total length (metre)
	From	To	
(i)	437.050	437.143	93.000 m
(ii)	244.670	245.450	780.000 m
(iii)	448.965	449.034	69.000 m
(iv)	254.355	254.650	295.000 m
(v)	243.879	243.941	62.000 m
	Total		1299.000 m

[F. No. NHAI/ 13013/497/11-12/CO/ GC- Kanpur (220.000-288.513)]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.